



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

Ph.: 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)

E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com

कुलसचिव

क्र./कु.स./शैक्ष.पि. बैठक/अ.सू./2019/4469

दिनांक 15.11.19

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 21.10.2019 के पद क्रमांक 08 में लिए गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक नियम क्रमशः 12.2 एवं 15.2 के अनुसार पुनः मूल्यांकित की गई उत्तर पुस्तिका का पुनः योग करने का प्रावधान नहीं है। अतः इस नियम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन (पुनः मूल्यांकित की गई उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन या पुनः योग नहीं किया जायेगा) के प्रस्ताव का शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया:-

UG academic rule 12.2/PG academic rule 15.2 presently states that"

The fee for revaluation and re-totaling shall be Rs. 350/- and Rs. 200/- respectively for each theory paper. However, there shall be no re-totaling of revaluated answer book.

Modified UG academic rule 12.2 / PG academic rule 15.2

The fee for revaluation and re-totaling shall be Rs. 350/- and Rs. 200/- respectively for each theory paper. However, there shall be no revaluation or re-totaling of revaluated answer book.

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृष्ठा.क्र./कु.स./शैक्ष.पि. बैठक/अ.सू./2019/4470

दिनांक 15.11.19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक, शिक्षण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
4. उप कुलसचिव (शिक्षण/स्थापना), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. नोडल अधिकारी, आई.यू.एम.एस., रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने बावत।
6. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव